

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अविनाश कुमार एवं एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं एक अन्य

2024 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 35

के साथ

2024 का सरकारी अपील (खं.पी.) सं. 2

12 सितंबर 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद और माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

#### विचार के लिए मुद्दा

- क्या मुकदमा चला रहे अभियोजन पक्ष और जांच एजेंसी की ओर से कई खामियां हुई हैं। क्या निचली अदालत ने भा.द.स. की धारा 307 और 504 के तहत आरोपी को आरोप से बरी करके गंभीर गलती की है?
- क्या विचारण न्यायालय ने भा.द.स. की धारा 307 और 504 के तहत आरोपी को आरोप से बरी करके गंभीर गलती की है। क्या मुकदमा चला रहे अभियोजन पक्ष की ओर से और जांच एजेंसी की ओर से कई खामियां हुई हैं?

#### हेडनोट्स

निर्णय दिया गया: यह माना गया कि विद्वान निचली अदालत ने भा.द.स. की धारा 307 और 504 के तहत आरोपी को आरोप से बरी करके घोर गलती की है। अभियुक्त का अपराध बिना किसी संदेह के साबित हो चुका था।

क्या रिकॉर्ड पर ऐसे सबूत उपलब्ध हैं कि अभियोजन पक्ष लगातार किसी भी उचित संदेह से परे

घटना की तारीख, समय, स्थान और तरीके को साबित करने में सक्षम रहा है।

निर्णय दिया गया: यह माना गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की मौखिक गवाही चोट की रिपोर्ट और अन्य अभियोजन गवाहों जो अस्पताल के डॉक्टर हैंके साक्ष्य से पूरी तरह से पुष्ट होती है। इन घायल गवाहों द्वारा यह विधिवत सिद्ध किया गया है कि अभियुक्तों ने उन पर बार-बार गोलीबारी की थी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है और इसे नहीं लिया जा सकता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने का दायित्व पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और अभियोजन पक्ष को अपने मामले को साबित करने के लिए अपने गवाहों को चुनने की स्वतंत्रता है।

हमने पाया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष सभी तीन घायल गवाहों को अदालत के सामने लाया था और उनके बयान से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे घटना की तारीख, समय, स्थान और तरीके के बारे में सुसंगत हैं। सभी घायल गवाहों के चोट प्रतिवेदन को क्रमशः चिकित्सकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले से यह माना गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने घायल गवाहों के साक्ष्य पर उचित विचार नहीं किया है। इस संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में यह कहा गया है कि घायल गवाहों के साक्ष्य का साक्ष्य संबंधी महत्व अधिक होता है और जब तक कोई ठोस कारण मौजूद न हो, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। म.प्र. राज्य बनाम मानसिंह और अन्य (2003) 10 एससीसी 414 में के माननीय उच्चतम न्यायालय का संदर्भ दिया गया है।

क्या अनुसंधानकर्ता का आचरण निंदनीय है? क्या अनुसंधानकर्ता की भूमिका की जांच करना आवश्यक है? मामले की जांच कर अनुसंधानकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा गया

हैं

निर्णय दिया गया: प्रति परीक्षा के दौरान, अन्य बातों के अलावा अनुसंधानकर्ता ने कहा है कि केस डायरी में, उन्होंने घटना स्थल पर खून की मौजूदगी के बारे में दर्ज नहीं किया था, उन्होंने पड़ोसी की जांच नहीं की थी जो ठीक बगल में है। और उसने ग्रामीणों का बयान दर्ज नहीं किया था। यह माना गया कि वर्तमान मामला अनुसंधानकर्ता की भूमिका की जांच करने के लिए बिहार सरकार के गृह विभाग को भेजा जाने वाला एक उपयुक्त मामला है। मामले की जांच के संबंध में गुजरात राज्य बनाम किशनभाई और अन्य (2014) 5 एससीसी 108 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई करें।

जब्तू सूची पर आपत्ति अंकित की गयी विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया है कि जब्तू सूची के गवाहों की जांच नहीं की गई है और उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दिया गया है, जिससे अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा होगा।

निर्णय दिया गया: यह माना गया कि अभियोजन पक्ष की कहानी को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष किसी विशेष संख्या में गवाहों की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायिक घोषणाओं से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि गवाह की गुणवत्ता मायने रखती है, संख्या नहीं। यह माना गया कि तीन घायल गवाहों और अनुसंधानकर्ता के रूप में विश्वसनीय गवाह हैं जिन्होंने इस मामले में सभी उचित संदेहों से परे घटना के स्थान को विधिवत साबित किया है क्या फर्दबयान में घटना घटित होने वाले विशिष्ट समय का उल्लेख न करने से अभियोजन की कहानी पर कोई संदेह पैदा नहीं होता है?

निर्णय दिया गया: ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय की सुविचारित राय है कि ऐसे मामले में जहां सूचकको गंभीर चोटें लगी थीं, घावों से खून बह रहा था और वह दर्द में था, उस विशिष्ट समय का उल्लेख न करना जब घटना घटित हुई जैसा कि फर्दबयान में उल्लेख किया गया है

अभियोजन की कहानी पर कोई संदेह पैदा न करें। वास्तव में विद्वान विचारण न्यायालय ने एक दर्ज किया है कि उक्त घटना में, घायल व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र से चोटें आई हैं।

राजेश यादव एवं अन्य. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 12 एस सी सी संदर्भित [पैरा 25]

राजस्थान राज्य बनाम अनि उर्फ हनीफ और अन्य। (1997) 6 एससीसी 162 में रिपोर्ट किया गया -माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि घायल गवाहों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है, भले ही उनका नाम एफआईआर में उल्लेखित न हो। [पैरा 27]

घायल गवाहों के साक्ष्य का साक्ष्य संबंधी महत्व अधिक होता है और जब तक कोई ठोस कारण मौजूद न हो, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मप्र राज्य बनाम मानसिंह और अन्य (2003) 10 एससीसी 414 में यह स्पष्ट किया है [पैरा 42]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम किशनभाई और अन्य (2014) 5 एससीसी 108 में जांच में अनुसंधानकर्ता की भूमिका दोषयोग्य पाया [पैरा 47]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में टिप्पणी की मुकदमे का संचालन कर रहे अभियोजन पक्ष और जांच एजेंसी की ओर से कई खामियाँ पर ध्यान नहीं दिया गया हरेन्द्र राय बनाम. बिहार राज्य और अन्य की रिपोर्ट एआईआर 2023 एससी 4331 में दी गई है [पैरा 51]

यह माना गया कि भा.द.स. की धारा 384 के तहत आरोप विधिवत साबित नहीं हुआ है। घटना का तात्कालिक कारण पैसे की मांग थी, लेकिन किस आधार पर पैसे की मांग की जा रही थी, यह अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। [पैरा 53]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोषपूर्ण जांच और अभियोजन के मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया राम बिहारी यादव 1998 4 एससीसी 517; पैरा 35 [पैरा 52]

### न्याय दृष्टान्त

बिहार राज्य बनाम लालू प्रसाद यादव एआईआर 2002 एससी 2432 में रिपोर्ट किया गया; जावेद मसूद बनाम राजस्थान राज्य (2010) 3 एससीसी 538 में रिपोर्ट किया गया; परमिंदर कौर बनाम पंजाब राज्य (2020) 8 एससीसी 811 में रिपोर्ट किया गया; जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2009) 9 एससीसी 719 में रिपोर्ट किया गया; गंगाधर बेहरा और अन्य बनाम ओडिशा राज्य (2002) 8 एससीसी 381 में रिपोर्ट किया गया; राजेश यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 12 एससीसी 200 में रिपोर्ट किया गया; राजस्थान राज्य बनाम अनी उर्फ हनीफ और अन्य (1997) 6 एससीसी 162 में रिपोर्ट किया गया; मध्य प्रदेश राज्य बनाम मानसिंह और अन्य (2003) 10 एससीसी 414 में रिपोर्ट किया गया; राजेश प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य ने (2022) 3 एससीसी 471 में रिपोर्ट किया; एच.डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य ने (2023) 9 एससीसी 581 में रिपोर्ट किया; बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य ने 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 561 में रिपोर्ट किया।

### अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 307, 384, 504/34; शस्त्र अधिनियम की धारा 27।

### मुख्य शब्दों की सूची

आरोप-पत्र; संज्ञान

### पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(आपराधिक अपील (खं.पी. संख्या 35/2024 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री अंशुल, अधिवक्ता; श्री राकेश कुमार रंजन, अधिवक्ता; श्री सौरव कुमार, अधिवक्ता; श्री प्रमोद राजपति, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं: श्री बिपिन कुमार, स.लो.अ.

उत्तर सं. 2 के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता; श्री सुधीश कुमार, अधिवक्ता

(सरकारी अपील (खं.पी.) संख्या 2/2024 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री. राजेंद्र नाथ झा, स.लो.अ.

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता; श्री सुधीश कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया: सौरभ प्रकाश, अधिवक्ता

### माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 35

थाना कांड संख्या-243 वर्ष-2021 थाना- गोपालपुर जिला- पटना से उद्धृत

=====

अविनाश कुमार, पिता- सुनील सिंह, निवासी ग्राम कछुआरा, थाना गोपालपुर, जिला-पटना

... ..अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य

2. समीर कुमार, पिता- उदय सिंह, निवासी ग्राम कछुआरा, थाना. - गोपालपुर, जिला-पटना.

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2024 का सरकारी अपील (खं.पी.) सं. 2

थाना कांड संख्या-243 वर्ष-2021 थाना- गोपालपुर जिला- पटना से उत्पन्न

=====

जिला दंडाधिकारी, पटना के माध्यम से, बिहार राज्य

... ..अपीलार्थी

बनाम

समीर कुमार, पिता- उदय सिंह, निवासी ग्राम -मनोहरपुर (कछुआरा), थाना- गोपालपुर,  
जिला-पटना

... .. उत्तरदाता

=====

**उपस्थिति :**

(आपराधिक अपील (खं.पी. संख्या 35/2024 में)

|                     |   |                                                                                                                      |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपीलकर्ता/ओं के लिए | : | श्री अंशुल, अधिवक्ता<br>श्री राकेश कुमार रंजन, अधिवक्ता<br>श्री सौरव कुमार, अधिवक्ता<br>श्री प्रमोद राजपति, अधिवक्ता |
| उत्तरदाता/ओं के लिए | : | श्री बिपिन कुमार, स.लो.अ.                                                                                            |
| उत्तर सं. 2 के लिए  | : | श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता<br>श्री सुधीश कुमार, अधिवक्ता                                                         |

(सरकारी अपील (खं.पी.) संख्या 2/2024 में)

|                     |   |                                                              |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| अपीलकर्ता/ओं के लिए | : | श्री राजेंद्र नाथ झा, स.लो.अ.                                |
| उत्तरदाता/ओं के लिए | : | श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता<br>श्री सुधीश कुमार, अधिवक्ता |

=====

**समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद**

**और**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह**

**मौखिक निर्णय**

**(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)**

**दिनांक: 12-09-2024**

ये दोनों अपीलें क्रमशः सूचनादाता और राज्य द्वारा दिनांक 07.12.2023 के निर्णय को रद्द करने के लिए दायर की गई हैं। (इसके बाद 'आक्षेपित निर्णय' के रूप में संदर्भित) गोपालपुर थाना कांड संख्या 243/2021 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 838/2021 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-v , सिविल कोर्ट, पटना (इसके बाद 'विद्वान विचारण न्यायालय ' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने उत्तरदाता संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भा.दं.वि.') की धाराओं 341, 323, 307, 384, 504/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया है।

2. विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद दोनों अपीलों पर विचार किया गया। शुरू में, अंतिम निपटान के लिए अपीलों को उनकी योग्यता के आधार पर सुनने का निर्णय लिया गया। दोनों अपीलों पर 10.09.2024 और 11.09.2024 को विस्तार से सुनवाई की गई।

### अभियोजन मामला

3. अभियोजन कहानी अविनाश कुमार (अ.सा.-1), निवासी ग्राम कछुआरा, थाना गोपालपुर, जिला पटना के फर्दबयान (प्रदर्श '1') पर आधारित है, जिसे रामकृष्णनगर थाने के उ.नि . एस.एन. सिंह ने 19.07.2021 को 13:00 बजे फोर्ड अस्पताल, बेड संख्या 408, पटना में दर्ज किया था। अपने फर्दबयान (प्रदर्श '1') में उन्होंने कहा है कि 19.07.2021 को जब सूचक (अ.सा.-1) अपने घर पर था और अपने पार्क में टहल रहा था, अचानक, (1) समीर कुमार, (2) उदय सिंह, (3) सुधीर कुमार और (4) समीर की पत्नी पिस्तौल, लाठी/डंडा से लैस होकर आए और गाली-गलौज करते हुए 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने लगा अन्यथा जान से मार देंगे। शोरगुल सुनकर सूचक के पिता सुनील सिंह और भाई

नीतीश कुमार भी वहां आ गए और कहासुनी होने लगी, इसी बीच समीर सिंह ने अपने पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जो सूचक के हाथ और पिता सुनील सिंह के पेट तथा भाई नीतीश के सीने में लगी जिससे वे घायल होकर गिर पड़े। इसके बाद सह ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए पटना फोर्ड अस्पताल पहुंचाया।

4. सूचक की *फर्दबयान* गोपालपुर थाने को भेजी गई जिसके क्षेत्राधिकार में घटना घटित हुई थी। सूचक की *फर्दबयान* के आधार पर गोपालपुर थाना कांड संख्या 243/2021 दिनांक 19.07.2021 को भा.दं.वि के धारा 341, 323, 307, 384, 504/34 एवं आर्म्स एक्ट धारा 27 के अंतर्गत 16:35 बजे पंजीकृत किया गया।

5. जांच के बाद पुलिस ने एक आरोपी समीर कुमार के खिलाफ भा.दं.वि और आर्म्स एक्ट की उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया, जो दोनों अपीलों में उत्तरदाता है। विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, IX वीं कोर्ट, पटना ने अपने आदेश दिनांक 26.10.2021 के माध्यम से अपराधों का संज्ञान लिया। अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित रखी गई। 16.11.2021 को पुलिस के कागजात अभियुक्त को उपलब्ध करा दिया गया तथा रिकार्ड सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

6. अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि जांच के दौरान, सूचक (अ.सा-1) ने एक विरोध याचिका (प्रदर्श '2') दायर की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी व्यक्ति धनी और प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुसंधानकर्ता को अपने प्रभाव में ले लिया है। यह कहा गया है कि अनुसंधानकर्ता केवल आरोपियों की मदद करने के लिए केस डायरी में गवाहों के बयान सही ढंग से दर्ज नहीं कर रहे हैं और आरोपी व्यक्ति उन्हें धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वे मामले में गवाही न दें अन्यथा वे याचिकाकर्ता और उसके गवाहों को मार देंगे।

7. विचारण न्यायालय के अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 20.12.2021 को विद्वान विचारण न्यायालय में अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात सत्र परीक्षण संख्या 838/2021 पंजीकृत किया गया। दिनांक 10.02.2022 को भा.दं.वि के धारा 307/384/34 एवं 504/34 के तहत आरोप, अभियुक्त को हिंदी में समझाए गए, उसने आरोपों से इनकार किया तथा मुकदमा चलाए जाने का दावा किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने भा.दं.वि. धारा 307, 384/34 एवं 504/34 के तहत आरोप तय किए तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों को बुलावा जारी किया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने गवाही दी तथा कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रदर्शित किये गये। अभियोजन पक्ष का पूरा विवरण गवाहों और प्रदर्शन के रूप में चिह्नित दस्तावेज त्वरित संदर्भ हेतु नीचे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची

| अ.सा.     | नाम                  |
|-----------|----------------------|
| अ.सा. - 1 | अविनाश कुमार         |
| अ.सा. - 2 | नितीश कुमार          |
| अ.सा. - 3 | सुनील सिंह           |
| अ.सा. - 4 | धनेश कुमार           |
| अ.सा. - 5 | डॉ. प्रभात रंजन      |
| अ.सा. - 6 | डॉ. राजा अनुराग गौतम |
| अ.सा. - 7 | इंद्रजीत प्रियदर्शी  |
| अ.सा. - 8 | अभिषेक कुमार रंजन    |

### प्रदर्शों की सूची

| प्रदर्श सं. | विवरण                             |
|-------------|-----------------------------------|
| प्रदर्श-1   | फर्दबयान                          |
| प्रदर्श-2   | विरोध आवेदन                       |
| प्रदर्श-3   | नीतीश कुमार की जख्म<br>प्रतिवेदन  |
| प्रदर्श-4   | सुनील सिंह की जख्म<br>प्रतिवेदन   |
| प्रदर्श-5   | अविनाश कुमार की जख्म<br>प्रतिवेदन |
| प्रदर्श-6   | औपचारिक प्राथमिकी                 |
| प्रदर्श-7   | खोखा की जब्ती सूची                |
| प्रदर्श-8   | अभियुक्त का गिरफ्तारी ज्ञापन      |
| प्रदर्श-9   | आरोप-पत्र                         |

9. बचाव पक्ष की ओर से टिंकू कुमार उर्फ रितिक को ब.ग.-1 के रूप में पेश किया गया। बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया।

### विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करने के बाद मामले के सूचक के आचरण के संबंध में टिप्पणी की। यह देखा गया है कि मामले की

शुरूआत से ही सूचक एक दूसरे पर आरोप लगाता रहा और जैसे ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिली, उसने अदालत के समक्ष एक शिकायत याचिका दायर की, जिसमें उसे आशंका थी कि उसके मामले की जांच अनुसंधानकर्ता द्वारा ठीक से नहीं की जाएगी। और उसे अपनी जांच के दौरान संदेह था कि मामले के स्वतंत्र गवाह मामले का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वे आरोपियों के साथ मिलीभगत में हैं। विद्वान अदालत ने पाया कि सूचक अपने परिवार की महिला सदस्यों यानी मां, पत्नी और बहन पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने उनकी जांच नहीं करवाई और उसने मुकदमे की प्रक्रिया में सहायता के लिए अपने निजी अधिवक्ता को नियुक्त किया।

11. विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि विद्वान अतिरिक्त लो.अ. जो पहले अभियोजन पक्ष का केस चला रहे थे, उन्होंने उस गवाह को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया जो केस का समर्थन नहीं करता था और भले ही सूचक ने कुछ गवाहों की जांच नहीं करने की इच्छा जताई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उनसे पूछताछ की। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि सूचक ने न केवल तत्कालीन स.लो.अ. पर आरोप लगाए, बल्कि कई घोषणाओं का हवाला देते हुए कोर्ट पर भी उंगली उठाई कि ट्रायल पर उसका नियंत्रण नहीं था और बचाव पक्ष ड्राइविंग सीट पर था। कोर्ट ने पाया कि सूचक यह भूल गया कि वह जांच के दौरान और विचारण के दौरान खुद सतर्क था, क्योंकि उसने अपने साथियों को शामिल किया था। न्यायालय के पास यह मानने का कोई अवसर नहीं था कि न्यायालय निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय नहीं था। न्यायालय ने कहा कि यह सच है कि पीठासीन न्यायाधीश को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत किसी भी समय किसी भी गवाह से किसी भी तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार है, चाहे वह प्रासंगिक हो या अप्रासंगिक, लेकिन साथ ही न्यायाधीश को इस तरह से

हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिससे यह लगे कि वह किसी भी पक्ष के प्रति पक्षपाती है। न्यायालय ने कहा कि सूचक मुकदमे की पूरी कार्यवाही के दौरान अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में मौजूद था और किसी भी समय यह नहीं दिखा कि बचाव पक्ष ने न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करने या टालने की कोशिश की या न्यायालय में कोई मूर्खतापूर्ण याचिका दायर करके मुकदमे में देरी की और अभियुक्त भी नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहा। इसके विपरीत, सूचक का आचरण गैस लाइटर जैसा दिखता है क्योंकि उसे न तो अनुसंधानकर्ता पर, न ही स्वतंत्र गवाहों पर, न ही अपने परिवार की महिला सदस्यों पर और न ही पीठासीन न्यायाधीश पर, जैसा कि वह ही सत्य का रक्षक था।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि बचाव पक्ष ने घायल व्यक्तियों के शरीर पर आग्नेयास्त्र के घावों पर कोई आपत्ति नहीं की है, लेकिन इसके खंडन में अदालत को यह समझाया गया कि यह अभियुक्त नहीं थे, बल्कि इलाके के अन्य खूंखार अपराधी/भूमि के खरीदार थे जिन्होंने घायल व्यक्तियों के बीच गोली चलाई थी। इस संबंध में, अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बचाव पक्ष ने टिंकू उर्फ रितिक से बचाव गवाह -1 के रूप में पूछताछ की थी, जिसने कथित तौर पर घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया था, जैसा कि सूचक ने अदालत के समक्ष अपने साक्ष्य में दावा किया था। बचाव पक्ष के पक्ष में वही बयान अ.सा.-7 ने भी दिया था, जो मुख्य परीक्षा के दौरान अदालत के समक्ष एक स्वतंत्र गवाह है, लेकिन सरकारी अधिवक्ता ने मुकदमे के किसी भी चरण में उससे प्रति - परीक्षण करने की अनुमति नहीं मांगी। अदालत ने **बिहार राज्य बनाम लालू प्रसाद यादव एआईआर 2002 एससी 2432** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दर्ज फैसले का संज्ञान लिया, जिसमें यह माना गया है कि बचाव पक्ष की प्रति - परीक्षण के बाद सरकारी अधिवक्ता द्वारा गवाह से प्रति - परीक्षण करने की

मांगी गई किसी भी अनुमति को अदालत द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

13. विद्वान विचारण न्यायालय ने **जावेद मसूद बनाम राजस्थान राज्य (2010) 3 एससीसी 538** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जिसमें यह माना गया है कि यदि बचाव पक्ष का समर्थन करने वाले अभियोजन पक्ष को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया जाता है, तो आरोपी ऐसे साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है। विचारण न्यायालय ने इस प्रकार यह देखा कि बचाव पक्ष की कहानी कि घायल व्यक्तियों को बन्दूक की चोटें लगी हैं, लेकिन अपराध स्थल, सूचक द्वारा बताए अनुसार नहीं था, अर्थात् उसके घर के परिसर में, लेकिन उसके गाँव से आधा किलोमीटर दूर *चौड़ी-खांदा* में, बल मौजूद है। विद्वान विचारण न्यायालय ने देखा कि भले ही सरकारी अभियोजक सभी गवाहों की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है और विवेकाधिकार अभियोजन पक्ष के पास है कि वह अपने मामले को साबित करने के लिए गवाह पेश करे या नहीं, अगर गवाह को रोककर रखने का कोई परोक्ष मकसद था तो एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अदालत ने कहा कि जब्ती के गवाहों की गैर-परीक्षा, जो निस्संदेह सूचक की महिला पारिवारिक सदस्य थीं और अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार सबसे अच्छी प्रत्यक्षदर्शी हो सकती हैं, सूचक द्वारा बताई गई अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करती है और अभियोजन पक्ष द्वारा महत्वपूर्ण स्वतंत्र गवाहों की गैर-परीक्षा उनके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **परमिंदर कौर बनाम पंजाब राज्य(2020) 8 एससीसी 811** मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है।

14. विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ सूचक

के घर जाकर फिरौती की मांग की और विरोध में गोलीबारी की जिससे सूचक, उसके भाई और पिता घायल हो गए। आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष के चौदह गवाहों के नाम थे, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से केवल आठ गवाहों से ही पूछताछ की गई है, जिनमें से दो एक निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं, एक मामले का अनुसंधानकर्ता है, बाकी पांच में से चार परिवार के सदस्य हैं, जिनमें तीन घायल हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा केवल एक स्वतंत्र गवाह से ही पूछताछ की गई। अदालत ने पाया कि भले ही अभियोजन पक्ष की कहानी इस हद तक मानी जाती है कि अभियुक्त ने जानबूझकर सूचक या उसके परिवार के सदस्यों का अपमान किया और उन्हें सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाया, लेकिन अभियुक्तों द्वारा *फर्दबयान* (प्राथमिकी) या भा.दं.वि. की धारा 504 के तहत अ.सा. की गवाही में इस्तेमाल किए गए वास्तविक शब्दों के अभाव में इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

15. विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि इस मामले में फिरौती मांगने का आरोप साबित नहीं हुआ है क्योंकि यह मानना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति अपने पिता, भाई और पत्नी के साथ अपने निकटतम पड़ोसी से फिरौती मांगेगा और अगर ऐसा होता तो अन्य पड़ोसी या सह-ग्रामीण निश्चित रूप से इन आरोपियों के कुकर्मों के खिलाफ आगे आते। इस बिंदु पर किसी भी स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति में, विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि जब सूचक या उसके परिवार द्वारा आरोपी को कुछ भी नहीं दिया गया है, तो धारा 384 भा.दं.वि. के तहत आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।

16. विद्वान विचारण न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक मुकदमे में किसी गवाह की गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार या परिवार का सदस्य है। ऐसे मामले में, न्यायालय को ऐसे गवाह के साक्ष्य

का विश्लेषण करने में सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा। ऐसे गवाहों की विश्वसनीयता और उनकी गवाही के साक्ष्य मूल्य की जांच करते समय, सामान्य धारणा यह है कि संबंधित गवाह किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देगा क्योंकि वे असली दोषियों को दंडित होते देखना पसंद करेंगे जैसा कि जैसा कि **जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2009) 9 एससीसी 719** में प्रतिवेदित मामले में कहा गया है। आपराधिक मुकदमे में गवाह की गवाही को ऐसे आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। विद्वान विचारण न्यायालय ने **गंगाधर बेहरा और अन्य बनाम ओडिशा राज्य (2002) 8 एससीसी 381** के प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर ध्यान दिया है।

17. विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में तीन घायल व्यक्ति हैं जिन्हें गोली लगी है और मेडिकल विशेषज्ञ ने भी इसकी पुष्टि की है, हालांकि वे एक निजी अस्पताल के हैं। बचाव पक्ष ने स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार न मिलने और किसी सरकारी अस्पताल में जांच न कराने का मुद्दा उठाया था। अदालत ने माना कि सूचक के अनुसार टिंकू कुमार (बचाव गवाह -1) ही उन्हें अस्पताल ले गया था, लेकिन टिंकू ने कहा है कि वह उन्हें घटनास्थल से अलग किसी अन्य स्थान से लेकर आया था, जैसा कि सूचक ने आरोप लगाया था। अदालत ने यह माना सूचक के परिवार के सदस्यों या स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट न करना भी अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बनाता है। न्यायालय ने सूचक के घर पर अभियुक्त द्वारा गोली चलाने की अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध माना और यह भी माना कि मामले में जिस तरह से जांच आगे बढ़ी है, उसमें सूचक द्वारा अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाया जाना स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अंतिम विश्लेषण में, विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि न्यायालय के समक्ष दिए गए गवाहों के बयानों और जांच के दौरान

पहले दिए गए बयानों में कई विरोधाभास हैं, वे मामले में विश्वास पैदा नहीं करते हैं। विचारण न्यायालय ने माना कि "इस बात की अधिक संभावना है कि पार्किंग, मार्ग आदि पर विवाद के कारण, सूचक ने अपने परिवार के सदस्यों पर खतरनाक व्यक्तियों द्वारा जानलेवा हमले के डर से अभियुक्त को झूठा फंसाया है और अभियोजन पक्ष/सूचक द्वारा प्राकृतिक गवाहों के रूप में सामग्री यानी सूचक की मां, बहन और पत्नी को पेश न करना भी अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करता है।

18. उपरोक्त विश्लेषण एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है।

#### **आपराधिक अपील में अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियां (खं.पी.) सं. 35/2024**

19. श्री अंसुल, आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 35/2024 में अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता और श्री राजेंद्र नाथ झा, आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 2/2024 में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अतिरिक्त सरकारी अभियोजक ने विभिन्न आधारों पर विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित फैसले पर संयुक्त रूप से हमला किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में, विद्वान विचारण न्यायालयने कुछ अनुचित और अप्रासंगिक टिप्पणियां की हैं। विद्वान विचारण न्यायालय के लिए केवल इसलिए सूचक के आचरण पर टिप्पणी करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उसने तत्कालीन जाँच अधिकारी के आचरण के खिलाफ शिकायत के माध्यम से विरोध दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि जाँच अधिकारी निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रहा था। वास्तव में, अंततः, विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित फैसले के पैराग्राफ '71' और '72' में मामले के जाँच अधिकारी को ही दोषी ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न केवल सूचक बल्कि बचाव पक्ष ने भी

अनुसंधानकर्ता की निष्पक्ष जांच पर आपत्ति जताई है। अनुसंधानकर्ता ने न तो सूचक का पुनःबयान दर्ज किया, न ही खून से सने मिट्टी और कपड़े एकत्र किए तथा न ही जब्त कोखा और गोली अदालत के समक्ष प्रस्तुत की और न ही आपराधिक विज्ञान प्रयोगशाला (आ. वि. प्र.) से उसकी जांच कराई।

20. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह नहीं समझ पाया कि पिछले अतिरिक्त लोक अभियोजक, जो मामले का संचालन कर रहे थे, ने मिलीभगत से इंद्रजीत प्रियदर्शी (अ. सा. -7) को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अपनी गवाही दर्ज करने की अनुमति दी, जबकि उन्हें पता था कि वह अपने बयान से पलट गए हैं और उनकी गवाही दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, अ. सा. -1, के रूप में गवाही देते समय, सूचक ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा था कि राकेश कुमार, कामेश्वर चौधरी, इंद्रजीत और सुरेंद्र साव जैसे गवाहों ने आरोपियों के साथ मिलीभगत की थी, इसलिए वह मुकदमे के दौरान उनसे पूछताछ नहीं करना चाहेंगे। यह बताया गया है कि विरोध याचिका को रिकॉर्ड पर लाया गया है और इसे प्रदर्श '2' के रूप में चिह्नित किया गया है। विरोध याचिका में, कई पैराग्राफ में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने अनुसंधानकर्ता को अपने पक्ष में कर लिया है और अनुसंधानकर्ता केवल आरोपियों की मदद करने के लिए केस डायरी में गवाहों के बयान को सही ढंग से दर्ज नहीं कर रहा है। प्रस्तुत है कि अभियुक्तगण द्वारा अ. सा-7 को अपने पक्ष में कर लिया गया था, उसने अपने मुख्य परीक्षण में अस्पष्ट बयान दिया है कि दिनांक 19.07.2021 को प्रातः लगभग 07:00-08:00 बजे गांव में हो-हल्ला हुआ था कि जमीन के क्रेता से सुनील सिंह, उसके दो पुत्र अविनाश कुमार एवं नीतीश कुमार का झगड़ा हुआ है, जिसमें उन पर गोली चलाई गई है। अ. सा-7 के मुख्य परीक्षण से स्पष्ट है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी

नहीं है। घटना के समय वह चौड़ी-कांढा पुल पर मौजूद नहीं था और उसने केवल यह दावा किया है कि गांव में हो-हल्ला सुनकर वह वहां गया था। उसने कहा है कि वहां पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। यह प्रस्तुत किया गया है कि बचाव पक्ष ने अभियोक्ता-7 को अपने पक्ष में कर लिया था और इस संबंध में जांच के दौरान प्रथम दृष्टया अभियुक्त के समक्ष दिए गए उसके पिछले बयान की ओर उसका ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया अभियुक्त के समक्ष दिए गए अपने पिछले बयान में अभियोक्ता-7 ने कहा था कि समीर कुमार (अभियुक्त) पिस्तौल से लैस होकर सूचक के घर पर गया था और सूचक के घर की बाउंड्री के गेट से उसने बार-बार गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप तीनों व्यक्ति घायल हो गए थे। इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियोक्ता (अभियोक्ता-8) के साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। अभियोक्ता ने मुख्य परीक्षा के पैराग्राफ '3' में घटनास्थल का विवरण दिया है। उन्होंने पाया कि घटनास्थल वही है और जो सूचक ने बताया है, अभियुक्त ने सूचक के घर के गेट के बाहर से अपनी पिस्तौल से गोली चलाई थी। अपने मुख्य परीक्षण के पैरा '4' में, अभियोक्ता ने कहा है कि घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान, उन्हें एक 7.65 मिमी का फायर किया हुआ कारतूस मिला था जिसे जब्त कर लिया गया और जब्ती सूची तैयार की गई। उक्त जब्ती सूची पर आपत्ति के साथ प्रदर्श '7' अंकित किया गया है।

21. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुसंधानकर्ता (अ. सा-8) ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे कहा है कि उन्होंने आरोपी समीर कुमार को गिरफ्तार किया था और उसका गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श '8' के रूप में सिद्ध हुआ है। अपनी गिरफ्तारी के बाद, समीर कुमार ने एक इकबालिया बयान दिया था जिसमें उसने खुलासा किया था कि अपराध करने में इस्तेमाल की गई पिस्तौल उसके घर के दक्षिणी हिस्से की ओर ईंट के

नीचे छिपाई गई है। आरोपी समीर कुमार द्वारा किए गए खुलासे पर उक्त पिस्तौल बरामद की गई और इस संबंध में उसके स्वयं के दर्ज बयान के आधार पर गोपालपुर थाना . कांड संख्या 244/2021 दिनांक 20.07.2021 को दर्ज किया गया। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना के अगले दिन, समीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खुलासे पर, पिस्तौल जो अपराध का हथियार था, बरामद कर लिया गया।

22. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इंद्रजीत प्रियदर्शी (अ. सा-7) से 13.08.2021 को अनुसंधानकर्ता (अ. सा-8) द्वारा पूछताछ की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि अनुसंधानकर्ता (अ. सा-8) के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि घटनास्थल के निरीक्षण का समय दर्ज न करने में उनकी ओर से चूक हुई है और उन्होंने उन पड़ोसियों का बयान दर्ज नहीं किया है जिनके घर वहां स्थित हैं, यह अभियोजन पक्ष की कहानी पर कोई संदेह पैदा करने का कारण नहीं होगा।

23. विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि इस मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के इस साक्ष्य पर संदेह नहीं किया है कि सूचक ,उसके पिता और भाई को बन्दूक से गोली मारी गई थी और उन्हें चोटें आई थीं। फोर्ड अस्पताल के डॉक्टरों, जिनकी जांच अ. सा.-5 और अ. सा-6 के रूप में की गई है, ने पीड़ितों की चोट रिपोर्ट को साबित कर दिया है और चोट रिपोर्ट को क्रमशः प्रदर्श '3', प्रदर्श '4' और प्रदर्श '5' के रूप में विधिवत प्रदर्शित किया गया है।

24. यह प्रस्तुत किया गया है कि जहां तक ब.सा. -1 के साक्ष्य का संबंध है, उसके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उदय सिंह के कहने पर स्वयं अदालत में बयान देने आया था, जो आरोपी समीर कुमार का पिता है और स्वयं इस मामले में आरोपी है। प्रति - परीक्षण के दौरान उसने कहा कि दोनों पक्षों में कुछ पुरानी जमीनों के

कारण विवाद था, लेकिन उसने इस संबंध में कोई कागज नहीं देखा। उसे यह भी बताया गया कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की, इसलिए उसका बयान केस डायरी में दर्ज नहीं किया गया। इस गवाह ने झूठा दावा किया कि घटना के 15-20 दिन बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप-पत्र के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ब.सा.-1 आरोप-पत्र गवाह नहीं था, उसे बचाव पक्ष द्वारा पहली बार मुकदमे के दौरान बयान देने के लिए लाया गया था, जब बचाव पक्ष ने पाया कि ब.सा.-1 का नाम सूचक (अ. सा.-1) के बयान में आया था, क्योंकि वह व्यक्ति जो सूचना देने वाले का वाहन चला रहा था जिसमें उसे इलाज के लिए लाया गया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इंद्रजीत प्रियदर्शी (अ. सा.-7) और टिकू कुमार ब.सा.-1) के साक्ष्य को अधिक महत्व देने में घोर भूल की है।

25. यह प्रस्तुत किया गया है कि एक ओर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अ.सा. -7 और ब.ग. -1 के साक्ष्य पर विश्वास किया है, वहीं विद्वान विचारण न्यायालय ने तीन घायल गवाहों के साक्ष्य को खारिज कर दिया है, जिन्होंने अ.सा. -1, अ.सा. -2 और अ.सा. -3 के रूप में गवाही दी है और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। उनके प्रत्यक्ष साक्ष्य चोट रिपोर्ट (प्रदर्श '3', '4' और '5') से पूरी तरह से पुष्ट हो रहे हैं, जिन्हें डॉक्टर अ.सा. -5 और अ.सा. -6 द्वारा विधिवत साबित किया गया है। **राजेश यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 12 एससीसी 200** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब तीन घायल गवाहों के साक्ष्य में कोई असंगति या कोई विरोधाभास नहीं है, तो केवल इसलिए कि वे संबंधित गवाह हैं, उनके साक्ष्य को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी तीन घायल

गवाहों के साक्ष्य स्पष्ट, ठोस हैं और उन्होंने प्रति - परीक्षण की कठोरता को सहन किया है, इसलिए वे मामले के उत्कृष्ट गवाह हैं और उन्हें आगे पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

26. विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि परिवार की महिला सदस्यों की जांच न करने से अभियोजन पक्ष का मामला खराब नहीं होगा। वे अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार की गई जल्ती सूची की औपचारिक गवाह थीं। वे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण गवाह नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह गवाहों की संख्या और उनके महत्व पर नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इस आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह आरोप लगाने वाले पक्ष की जिम्मेदारी है कि इसे साबित करने के लिए जानबूझकर गवाह पेश नहीं किया गया।

27. विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान राज्य बनाम अनी उर्फ हनीफ और अन्य (1997) 6 एससीसी 162 में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि घायल गवाहों के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, भले ही उनका नाम एफआईआर में उल्लेखित न हो और साक्ष्यों की सराहना करते समय इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय की भूमिका पर निर्णय के पैराग्राफ '11', '12' और '13' में उचित रूप से चर्चा की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच विवाद को विकसित करने की अनुमति दी और इस प्रक्रिया में अनावश्यक और अनुचित टिप्पणियां कीं एवं अपने अवलोकनों में आक्रामक और प्रतिस्पर्धी तत्वों को शामिल करके अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को विकृत किया।

28. अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने माननीय

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों को उचित परिप्रेक्ष्य में न आंकने में गंभीर गलती की है, जिसमें घायल गवाहों के साक्ष्य का साक्ष्य के रूप में अधिक मूल्य है और जब तक बाध्यकारी कारण मौजूद न हों, उन्हें हल्के में नहीं छोड़ा जा सकता है।

29. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता आरोपी को बरी करने के विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले से न्याय का उपहास हुआ है और रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य से केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष गलत हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में साक्ष्य के आधार पर केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी समीर कुमार धारा 307, 384 और 504/34 के तहत अपराध करने का दोषी है और उसे कानून के अनुसार दोषी ठहराया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए।

### अभियुक्त-उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से प्रस्तुतियाँ

30. उत्तरदाता संख्या 2 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचक (अ.सा. -1) ने घटना की तारीख और समय बताए बिना प्राथमिकी दर्ज कराई। सूचक के *फर्दबयान* से ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह घर के पार्क में टहल रहा था, तब कथित घटना घटी। अ.सा. -1 के बयान का हवाला देते हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उसके बयान के पैरा '11' में सूचक ने कहा है कि उसके सह-ग्रामीण टिंकू कुमार ने वाहन चलाया और उन्हें इलाज के लिए ले गया। पैरा '36' में सूचक ने कहा है कि खून धरती पर गिरा था। पैरा 40' में सूचक द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसका

आगे का बयान अनुसंधानकर्ता द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। पैरा '41' में सूचक ने बयान दिया है कि जब वह बन्दूक से घायल हुआ तो हमलावर उनके सामने 5-6 फीट की दूरी पर अपने हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था और 3-4 मिनट के बाद उसके पिता सुनील सिंह और भाई नीतीश कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने अभियुक्त के हाथ में पिस्तौल देखी।

31. सूचक के भाई अ.सा. -2 के बयान का हवाला देते हुए विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि इस गवाह ने बयान दिया है कि सूचक (अ.सा.-1) उस समय परिसर के बगीचे में था, जब आरोपी समीर पिस्तौल लेकर, उदय और सुधीर लाठी लेकर तथा निशी कुमारी ईंट लेकर आए और उसके भाई को गाली देने लगे तथा पांच लाख रुपए की मांग करने लगे। यह गवाह और उसके पिता नीचे आए। उदय सिंह ने आदेश दिया और समीर ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके परिणामस्वरूप वह, उसके पिता और भाई घायल हो गए। पैरा '3' में इस गवाह ने बयान दिया है कि घटना के 25 दिन बाद उसका बयान दर्ज किया गया। पैरा '39' में इस गवाह ने गवाही दी कि उसने जांच के दौरान पुलिस को बताया कि घटना के समय वह पहली मंजिल पर अपने घर की बालकनी में था और उसका भाई (सूचक) परिसर के बगीचे में था, तभी आरोपी व्यक्ति आए और गाली-गलौज करने लगे और पैसे मांगने लगे।

32. विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अनुसंधानकर्ता (अ.सा.-8) ने पैरा 69' और '70' में कहा है कि अ.सा.-2 ने उसे बताया कि आरोपी समीर कुमार और उदय सिंह मंदिर के लिए चंदे के रूप में पांच लाख रुपये मांग रहे थे, जिसका उसके भाई ने विरोध किया था। उसने यह नहीं बताया कि वह और उसके पिता नीचे उतरे और उदय सिंह ने हत्या का आदेश दिया और उसे सीने के दाहिने हिस्से में चोट लगी।

33. अ.सा.-3 के साक्ष्य का हवाला देते हुए सूचक के पिता विद्वान अधिवक्ता ने

कहा कि इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि वह मवेशियों को चारा दे रहा था और उसका बेटा (सूचक) परिसर के बगीचे में खड़ा था। आरोपीगण आए, समीर पिस्तौल लेकर, उदय और सुधीर लाठी लेकर और निशी कुमारी ईंट लेकर आए और समीर ने पांच लाख रुपए मांगे और विरोध करने पर उदय सिंह ने आदेश दिया और फायरिंग शुरू हो गई। हल्ला होने पर उसका दूसरा बेटा नीतीश कुमार (अ.सा.2) आया। समीर द्वारा की गई फायरिंग से अविनाश कुमार (सूचक) और उसके दूसरे बेटे नीतीश घायल हो गए। इस साक्षी ने पैरा '36' से '38' में कहा है चौकीदार और मुखिया को घटना के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। इस गवाह ने कहा कि जब पहली बार फायरिंग की गई तो तीनों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। अनुसंधानकर्ता (अ.सा. -8) ने कहा है कि जांच के दौरान इस गवाह (अ.सा.-3) ने ये तथ्य उसे नहीं बताए हैं।

34. विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि इन तथ्यों से पता चलता है कि पहली बार अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले को आगे बढ़ाया है और घटनास्थल को बदल दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि घायलों को अस्पताल ले जाने वाले ब.ग.-1 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि घटनास्थल चौरी खंडा पुल के पास गांव के उत्तरी छोर पर है, जहां से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। इसके अलावा अ.सा.-3 ने जांच के दौरान कहा है कि घटनास्थल घर के बगल में एक बाग था, जहां उसका बेटा टहलने गया था।

35. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप-पत्र में चौदह गवाहों के नाम हैं और उनमें से अधिकांश को अभियोजन पक्ष ने जानबूझ कर रोक रखा है क्योंकि उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर घटित घटनाओं का अलग-अलग विवरण दिया है और यदि उन्हें पेश किया जाता तो वे वास्तविक तथ्यों को उजागर कर देते जो अभियोजन पक्ष के मामले

के लिए प्रतिकूल होता।

36. विद्वान अधिवक्ता ने अनुसंधानकर्ता के कथन का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें घटनास्थल से कोई खाली कारतूस नहीं मिला है और घटनास्थल पर उन्हें कोई खून भी नहीं मिला (पैरा '20')। अनुसंधानकर्ता ने पैरा '58' में कहा है कि एक *खोखा* जिसे उन्होंने जब्त किया था, उसे कभी अदालत में पेश नहीं किया गया और न ही उसे आपराधिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया।

### विमर्श

37. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अतिरिक्त लो. अ. तथा आपराधिक अपील (खं. पी. ) संख्या 35/2024 में उत्तरदाता संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, जो सरकारी अपील (खं. पी.) संख्या 2/2024 में एकमात्र उत्तरदाता है, तथा साथ ही हमने विचारण न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

38. सूचक (अ.सा.-1) के फर्दबयान (प्रदर्श '1') से यह स्पष्ट है कि यह 19.07.2021 को 13:00 बजे फोर्ड अस्पताल, पटना में दर्ज किया गया था, जहां सूचक भर्ती था और उसका इलाज चल रहा था। फर्दबयान राम कृष्ण नगर पुलिस स्टेशन के उ. नि. एसएन सिंह द्वारा दर्ज किया गया था। आरोपी-उत्तरदाता की ओर से दलील दी गई है कि फर्दबयान में घटना की तारीख और समय का उल्लेख नहीं है। हम चोट रिपोर्ट (प्रदर्श '5') से पाते हैं कि सूचक को 19.07.2021 को सुबह 8:00 बजे फोर्ड अस्पताल और अनुसंधान केंद्र लाया गया था, जहां उसे प्रवेश संख्या 50211 के तहत एक अंतरंग रोगी के रूप में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर (अ.सा.-6) ने जख्म प्रतिवेदन को साबित कर दिया है और अपने मुख्य परीक्षा में उन्होंने निम्नलिखित बातें कही हैं:-

"दिनांक 19.07.2021 को, मैं फोर्ड अस्पताल, पटना में तैनात था।

मैंने 19.07.2021 को शाम 7:30 बजे कछुआरा में अविनाश कुमार, कथित आग्नेयास्त्र चोट के मामले, जिससे दाहिने कंधे में घाव हो गया, साथ ही लगातार रक्तस्राव और दर्द हो रहा था की जांच की। इससे दाहिने ऊपरी अंग को हिलाने में असमर्थता। जांच करने पर मरीज होश में था, बुखार से ग्रस्त था, दाहिने कंधे पर आगे की ओर 1 सेमी व्यास का घाव/मार्जिन का काला पड़ना ( अक्षीय किनारा से 2"-3"ऊपर )।"

39. अभियोजन पक्ष के गवाहों ने बयान दिया है कि घटना 19.07.2021 को सुबह लगभग 7:30 बजे हुई थी। मुकदमे के दौरान सूचक से अ.सा.-1 के रूप में पूछताछ की गई और अपने मुख्य परीक्षण में उसने कहा है कि घटना 19.07.2021 को सुबह 7:30 बजे की है। अ.सा.-1 ने अपने बयान के पैराग्राफ 42 में कहा है कि उसने अपने फर्दबयान में कहा था कि घटना 19.07.2021 को सुबह 7:30 बजे की है। प्रति - परीक्षण के पैटर्न से ऐसा प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष ने घटना की तारीख और समय पर सवाल नहीं उठाया है। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस विचारित राय पर है कि ऐसे मामले में जहां सूचक को गंभीर चोटें आई थीं, घावों से खून बह रहा था और वह दर्द में था, फर्दबयान में घटना के विशिष्ट समय का उल्लेख न करने से अभियोजन पक्ष की कहानी पर कोई संदेह नहीं होगा। वास्तव में विद्वान विचारण न्यायालय ने एक बयान दर्ज किया है कि उक्त घटना में घायल व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र से चोटें आई हैं।

40. हमने देखा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करते हुए कहा है कि बचाव पक्ष की कहानी कि हालांकि घायल व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र से चोटें आई हैं, लेकिन अपराध स्थल सूचक द्वारा बताए अनुसार नहीं था, यानी

उसका घर का परिसर, लेकिन चौड़ी-खंदा जो गांव से आधा किलोमीटर दूर है, अत्यधिक बल प्रदान करती है। विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से अ.सा.-7 और ब.ग. -1 की मौखिक गवाही पर भरोसा किया है। अ.सा. -7 ने कहा है कि 19.07.2021 को सुबह लगभग 7-8 बजे गांव में शोर मचा कि सुनील सिंह, उनके दो बेटों अविनाश और नीतीश कुमार के बीच जमीन के खरीदार के साथ झगड़ा हुआ है, जिसमें उन्हें गोली मार दी गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि वह घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, लेकिन उनका दावा है कि गांव में शोर सुनकर वे वहां गए थे। उन्होंने कहा है कि वहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हमने पाया है कि अ.सा. -7 ने घटनास्थल के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, फिर भी तत्कालीन अतिरिक्त लोक अभियोजक ने उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं करवाया। अ.सा. -7 से प्रति - परीक्षण नहीं की गई और उसका ध्यान अनुसंधानकर्ता (अ.सा. -8) द्वारा दर्ज किए गए उसके पिछले बयान की ओर नहीं दिलाया गया। इस स्तर पर, हम देखते हैं कि विरोध याचिका (प्रदर्श '2') दायर करके, सूचक (अ.सा. -1) ने तत्कालीन अनुसंधानकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और न्यायालय के संज्ञान में लाया था कि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों को अभियुक्तों ने अपने पक्ष में कर लिया है, जो धनी और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वास्तव में, अ.सा. -1 के रूप में गवाही देते समय सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा '6' में स्पष्ट रूप से कहा था कि राकेश कुमार, कामेश्वर चौधरी, इंद्रजीत (अ.सा. -7) और सुरेंद्र साव नामक गवाहों ने अभियुक्तों के साथ मिलीभगत की थी, इसलिए वह उनसे पूछताछ नहीं करना चाहता है। इन गवाहों का आपराधिक इतिहास रहा है और अभियुक्तों का भी आपराधिक इतिहास रहा है। यहां तक कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भी जांच के दौरान अनुसंधानकर्ता की ओर से कई खामियां पाई हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि एक समय पर

सूचक ने तत्कालीन अतिरिक्त लो. अ. के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि उन्होंने अ.सा. -7 की जांच कराई थी, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि अ.सा. -7 को अपने पक्ष में कर लिया गया है और तत्कालीन अतिरिक्त लो. अ. ने अ.सा. -7 को पक्षद्रोही घोषित नहीं कराया था। हमने मामले के इस पहलू पर गौर किया है और पाया है कि इस संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलें काफी सारवान हैं। अनुसंधानकर्ता (अ.सा. -8) ने अपनी मुख्य जांच में कहा है कि उन्होंने अपनी जांच के दौरान इंद्रजीत (अ.सा. -7) का बयान दर्ज किया था। अ.सा. -7 के बयानों को ध्यान में रखते हुए, हम इस राय पर पहुंचे हैं कि अपनी मुख्य जांच में अ.सा. -7 ने अस्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने अपनी मुख्य जांच में कहा है कि शोरगुल सुनकर वह अन्य ग्रामीणों के साथ वहां पहुंचे थे और वहां से ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि साक्ष्य में आया है कि सूचक को उसके स्वयं के वाहन से अस्पताल ले जाया गया था।

**40.1** हमारे मत में अ.सा.-7 को इस मामले में स्वतंत्र गवाह नहीं माना जा सकता है तथा अ.सा.-1 के, अ.सा.-7 के संबंध में मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान के आधार पर उसकी गवाही को साक्ष्य के रूप में अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में तीन घायल गवाह जो अ.सा.-1, अ.सा.-2 तथा अ.सा.-3 हैं, घटनास्थल के संबंध में सुसंगत हैं। अ.सा.-1 ने कहा है कि समीर कुमार, उदय सिंह तथा उनके पीछे सुधीर कुमार तथा निशि कुमारी उसके परिसर में आए, समीर कुमार पिस्तौल से लैस था, उदय सिंह तथा सुधीर के हाथ में लाठी थी तथा निशि के हाथ में ईंट थी तथा उन्होंने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी तथा धमकी दी थी कि यदि रंगदारी नहीं दी गई तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। सूचक द्वारा विरोध किए जाने पर उसके पिता सुनील सिंह तथा भाई नीतीश कुमार (दोनों घायल) वहां आए जिसके बाद घटना घटी जिसमें समीर कुमार ने

अपनी पिस्तौल से गोली चलाई जिससे तीनों व्यक्ति घायल हो गए। अ.सा. -2 और अ.सा. -3 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जब अविनाश कुमार (अ.सा. -1) अपने परिसर के बगीचे में था, तब यह घटना घटी। अनुसंधानकर्ता (अ.सा. -8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसने घटनास्थल का दौरा किया था। अपने मुख्य परीक्षण के पैरा '3' में उसने घटनास्थल का विवरण दिया है तथा अपने बयान के पैरा '4' में कहा है कि घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान उसने 7.65 एम.एम. का एक फायर किया हुआ कारतूस जब्त किया था, कारतूस के आधार पर 7.65 अंकित था। उसने जब्ती सूची तैयार की थी, जिस पर सुरुचि कुमारी तथा सरिता कुमारी ने गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किए थे।

41. जब्ती सूची पर आपत्ति के साथ प्रदर्श '7' अंकित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया है कि जब्ती सूची के गवाहों की जांच नहीं की गई है और अभियोजन पक्ष ने उन्हें रोक रखा है, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा होगा। यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, क्योंकि किसी भी मामले में अभियोजन पक्ष की कहानी को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष किसी विशेष संख्या में गवाहों की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायिक घोषणाओं से यह अच्छी तरह से स्थापित है कि गवाह की गुणवत्ता मायने रखती है, न कि संख्या। हम पाते हैं कि तीन घायल गवाहों और अनुसंधानकर्ता के रूप में विश्वसनीय गवाह हैं, जिन्होंने सभी उचित संदेह से परे घटनास्थल को विधिवत साबित कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अ.सा. -7 के साक्ष्य को इस कारण से बहुत अधिक महत्व दिया है कि अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं करवाया है, बल्कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री जिसमें सूचक (अ.सा. -1) ने दिखाया है कि वह अदालत से शिकायत कर रहा था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को मना लिया गया है और अ.सा. -7 से

पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी तत्कालीन स. लो. अ. ने उसकी जांच की लेकिन उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं कराया, हमारा विचार है कि तीन घायल गवाहों और अनुसंधानकर्ता के साक्ष्य की उपस्थिति में अ.सा. -7 के साक्ष्य को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है।

**41.1** इसी प्रकार, हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने टिंकू कुमार उर्फ, रितिक के साक्ष्य पर भरोसा किया है, जिसने ब. ग.-1 के रूप में गवाही दी है। उसने अ.सा. -7 के अनुसार गवाही दी है और कहा है कि जब वह चौरी खंदा पुल पर पहुंचा, तो उसने पाया कि सुनील सिंह, अविनाश कुमार और नीतीश कुमार घायल अवस्था में थे और वे कह रहे थे कि जमीन के खरीदारों के साथ झगड़ा हुआ था, जिन्होंने उन पर गोली चलाई और भाग गए। ब.ग. -1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसे वाहन लाने और घायलों को इलाज के लिए पटना ले जाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद वह वापस आया और वाहन को चौरी खंदा पुल पर ले गया, जहां से वह घायलों को पटना के फोर्ड अस्पताल में ले गया और उन्हें भर्ती कराया। अपने प्रति - परीक्षण में, इस गवाह ने कहा है कि उसे अदालत से कोई अदालत का बुलावा नहीं मिला था और वह उदय सिंह, जो अभियुक्त का पिता है, के कहने पर खुद ही गवाह के रूप में गवाही देने आया था। उसने झूठा दावा किया कि उसका बयान पुलिस ने घटना के 15-20 दिन बाद दर्ज किया था लेकिन अभियोजन पक्ष ने उसे सुझाव दिया कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया है, इसलिए उसका बयान केस डायरी में मौजूद नहीं है। अपने प्रति - परीक्षण में ब.ग. -1 ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच खेती-बाड़ी को लेकर पुराना विवाद था लेकिन उसने इस संबंध में कोई कागज नहीं देखा था। ब.ग. -1 को सुझाव दिया गया कि वह उदय सिंह का करीबी है और वह आरोपी को बचाने के प्रयास में गवाही देने आया था और वह झूठा

बयान दे रहा था। हालांकि ब.ग. -1 ने इस सुझाव का खंडन किया। हम फिर पाते हैं कि ब.ग. -1 का सबूत भरोसेमंद नहीं है। जांच के दौरान अनुसंधानकर्ता ने उसकी जांच नहीं की और वह इस मामले में आरोपपत्र गवाह नहीं था। उसने स्वीकार किया है कि वह उदय सिंह के कहने पर गवाही देने आया था। बचाव पक्ष का यह मामला नहीं है कि जांच के दौरान ब.ग. -1 से पुलिस ने पूछताछ की थी, उसका बयान डायरी में दर्ज किया गया था लेकिन उसे आरोपपत्र गवाह नहीं बनाया गया था। डी.डब्लू.-1 अचानक ही मुकदमे के दौरान उपस्थित हुआ है, इसलिए, जबकि यह पाया गया है कि वह वही व्यक्ति था जिसने वह वाहन चलाया था जिसमें घायल को अस्पताल ले जाया गया था, उसे घटनास्थल को साबित करने के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह नहीं कहा जा सकता है और उसकी मौखिक गवाही से घायल गवाहों के साक्ष्य पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं होगा।

42. हमने विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले से देखा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने घायल गवाहों के साक्ष्य पर उचित विचार नहीं किया है। इस संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में कहा गया है कि घायल गवाहों के साक्ष्य का साक्ष्य के रूप में अधिक महत्व है और जब तक कोई ठोस कारण न हो, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.पी. राज्य बनाम मानसिंह एवं अन्य (2003) 10 एससीसी 414 में दिए गए फैसले की याद आती है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ '9' में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"9. घायल गवाहों के साक्ष्य का साक्ष्य के रूप  
में अधिक महत्व है और जब तक कोई ठोस कारण न हो,  
उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। केवल

इसलिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में चाकू का उल्लेख नहीं था, इससे घायल गवाहों अ.सा.4 और 7 द्वारा दिए गए साक्ष्य का प्रभाव खत्म नहीं हो जाता। मामूली विसंगतियां अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं। घायल गवाहों के साक्ष्य को कमजोर बनाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उजागर की गई परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से महत्वहीन हैं। अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने यह उचित रूप से स्वीकार किया है कि यद्यपि चोट के अनुरोध ज्ञापन में हमलावरों के नामों का उल्लेख न करना अभियोजन पक्ष के कथन को पूरी तरह से खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है, उनके अनुसार, यह एक संदिग्ध परिस्थिति है और यह निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनती है कि अभियोजन पक्ष का कथन विश्वसनीय है या नहीं। कानून में यह स्थापित स्थिति है कि अनुरोध ज्ञापन में हमलावरों के नाम का उल्लेख न करना अभियोजन पक्ष के कथन को कमजोर नहीं बनाता है।"

**43. मानसिंह (उपरोक्त)** मामले में अपने फैसले के पैराग्राफ '12' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"12. भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि जांच में कमियां थीं, जैसा कि उच्च न्यायालय ने बताया है, लेकिन यह अभियोजन पक्ष के बयान को खारिज करने का आधार नहीं हो

सकता, जो प्रामाणिक, विश्वसनीय और ठोस है। हीरा लाल से पूछताछ न किया जाना भी अभियोजन पक्ष के बयान पर संदेह करने का कारक नहीं है। वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, और अ.सा.8 के बयान के अनुसार वह अ.सा.8 के बाद आया था। जब अ.सा.8 से पूछताछ हो चुकी है, तो हीरा लाल से पूछताछ न किया जाना कोई मायने नहीं रखता।"

**44. राजेश यादव (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय दोहरे हत्याकांड और एक घायल के मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें घायल गवाह और तीन अनुसंधानकर्ताओं (आईओ) में से एक की जांच नहीं की गई थी और एक चश्मदीद गवाह और एक अन्य अनुसंधानकर्ता अपने बयान से पलट गए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ '34' में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"34. केवल गवाह से पूछताछ न करने से अभियोजन पक्ष का मामला खराब नहीं होगा। यह गवाहों की संख्या और उनके महत्व पर नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यदि न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और मुकदमे को आगे बढ़ाने तथा अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री की पर्याप्तता से संतुष्ट है, तो कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता। इसी तरह, यदि न्यायालय का मानना है कि साक्ष्य की जांच नहीं की गई है और इसे दूसरे पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में पेश किया जा सकता है, तो कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह आरोप लगाने वाले पक्ष की जिम्मेदारी है कि जानबूझकर गवाह पेश नहीं किया गया है।

45. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष का मामला साबित करने का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर और अभियोजन पक्ष को अपने मामले को साबित करने के लिए अपने गवाहों को चुनने की स्वतंत्रता है। हम पाते हैं कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने सभी तीन घायल गवाहों को अदालत के सामने पेश किया था और उनके बयान से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे घटना की तारीख, समय, स्थान और तरीके के बारे में एकमत हैं। सभी घायल गवाहों की चोट रिपोर्ट, जो क्रमशः प्रदर्श '3', प्रदर्श '4' और प्रदर्श '5' के रूप में चिह्नित हैं, डॉक्टरों द्वारा विधिवत साबित की गई हैं जो क्रमशः अ.सा.-5 और अ.सा.-6 हैं। सभी तीन घायल गवाहों की चोट रिपोर्ट को आसान संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

#### "सुनील सिंह की जख्म प्रतिवेदन

सुनील सिंह, उम्र-60 वर्ष/पुरुष, गांव कछुआरा, डाकघर - कछुआरा, थाना गोपालपुर, पटना की 19/07/21 को फोर्ड अस्पताल के इमर्जिंग में पंजीकरण संख्या 76549 के अनुसार जांच की गई, जिसमें उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए-

(1)  $1\frac{1}{2}$  सेमी x 1 सेमी x गहराई का घाव, बाएं पार्श्व पर लगभग 4 सेमी ऊपरी इलियाक रीढ़ तक पहुंच रहित, खून बह रहा है और किनारा उल्टा है - प्रवेश घाव

(2) नाभि के दाहिनी ओर 1.5 सेमी x 1.25 सेमी आकार का फटा हुआ घाव और उल्टा किनारा, सी खून बह रहा है - बाहरी घाव

(3) 5 सेमी x 5 सेमी गहराई का फटा हुआ घाव, पहुंच से बाहर और (बाएं) अग्र भुजा का लेट पहलू - घाव के चारों ओर जलने के निशान के साथ प्रवेश घाव

(4) बाएं अग्रबाहु के मध्य भाग पर 1 सेमी x 0.5 सेमी आकार का कटा

हुआ घाव - निकास घाव

पहचान चिन्ह - ठोड़ी के ऊपर तिल, बाएं पैर के टखने के पास तिल।

रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट - रंटजन किरण पेट सटीकमुद्रा - कोई असामान्यता नहीं दिखी

रंटजन किरण बायीं बांह AD- Lat- कोई असामान्यता नहीं

देखा

सोनोग्राफी - सामान्य

चोट की प्रकृति सरल है, कारण सरल है

आग्नेयेशस्त्र

चोट की आयु - 6 घंटे के अंदर।

### नीतीश कुमार की जख्म प्रतिवेदन

नीतीश कुमार, उम्र 30 वर्ष/पुरुष, गांव कछुआरा, डाकघर .-

कछुआरा, थाना गोपालपुर, जिला- पटना, बिहार दिनांक 19/07/21 को पंजीकृत

संख्या 76548 के अनुसार फोर्ड अस्पताल पटना के इमर्जिंग में जांच की गई और

उसके शरीर पर निम्नलिखित चोट पाई गई।

(1) 1 सेमी x 1 सेमी गहराई का कटा हुआ घाव, पहुंच से बाहर, उल्टा किनारा।

दाएं स्टर्नो क्लैविक्युलर जंक्शन के पार्श्व और ठीक नीचे, खून बह रहा था - प्रवेश घाव।

(2) (दाहिने) स्कैपुला के एनल के पास 1 ½ सेमी x 1 सेमी आकार का फटा हुआ घाव, जिसका मार्जिन उल्टा है - निकास घाव।

पहचान चिन्ह- गर्दन की मध्य रेखा पर काला तिल  
 (दाहिनी) कोहनी के ऊपर काला तिल।  
 रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट  
 एचआरसीटी- छाती- (दाएं) 7 वें भाग के बाद अस्थिभंग पसली  
 बड़ा (दाएं) हीमोन्यूमोथोरेक्स, बाईं ओर अच्छी तरह से मध्यबिंदु शिफ्ट और  
 (दाएं) छाती की दीवार (दाएं) ऊपरी लोब फुफ्फुसीय कंटूरियन पर सर्जिकल वातस्फीति।  
 पेट के एनसीसीआई में कोई महत्वपूर्ण असामान्यता नहीं देखी गई  
 हस्तक्षेप - (दाएं) बहुवचन गुहा में इंटरकोस्टल ट्यूब जल प्रविष्टि।  
 - पीटी. पर 27/07/21 को सी (दाएं) आईसीटी- साइट में जल निकासी पर चर्चा की गई  
 चोट की प्रकृति -किसी आग्नेयास्त्र के कारण लगी गंभीर चोट।  
 चोट की आयु - 6 घंटे के अंदर।

### अविनाश कुमार की जख्म प्रतिवेदन

36 वर्ष/पुरुष, कछुआरा, गोलपुर, पटना-20  
 19/07/2021 को सुबह 7:30 बजे कछुआरा में आग्नेयशस्त्र जख्म का  
 कथित मामला। जिससे (दाएं) कंधे में घाव हो गया, साथ ही लगातार रक्तस्राव और दर्द हो  
 रहा है। (दाएं) ऊपरी पसली को हिलाने में असमर्थता।  
 पं. सचेत/उन्मुख/बुखार रहित  
 छाती - (दाहिने) कंधे के आगे घाव - 1 सेमी व्यास/किनारे का काला  
 पड़ना। (अक्षीय मार्जिन से 2"-3" ऊपर)  
 हिलने में असमर्थता (दाहिना) कंधा (दर्दनाक) कोहनी/कलाई/हाथ-

रोम(एन)

रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट- दाएं ग्लेनोह्यूमरल जोड़ में धात्विक विदेशी वस्तु, साथ ही ह्यूमरल सिर का अस्थिभंग ।

पहचान चिन्ह.- (1) माथे पर चोट का निशान

(2) बाएं पैर पर निशान (पार्श्व की ओर)

1. विदेशी वस्तु को हटाना (डिटोपेक्टोरल दृष्टिकोण (दाहिनी ओर) का उपयोग करते हुए, कंधा उजागर हुआ, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस (सिर) फ्रैक्चर हो गया था, जो साइटो में धातुयुक्त विदेशी वस्तु के साथ जुड़ा हुआ था। धातुयुक्त विदेशी वस्तु को हटाया गया, फ्रैक्चर के अनुमानित घाव का क्लोन बनाया गया और कंधे पर इमोबिलाइजर लगाया गया, एंटीबायोटिक/एनाल्जेसिक दिया गया। धातुयुक्त विदेशी वस्तु को एमआरडी (रिकॉर्ड विभाग, फोर्ड अस्पताल, पटना) भेजा गया।

46. हमने पाया है कि बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं कि घायल गवाहों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। हमारा मानना है कि संदेह के तौर पर कोई सवाल उठाना उचित नहीं है। यह तर्क कि घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल नहीं ले जाया गया, जबकि उन्हें गंभीर रूप से गोली लगने से चोटें आई थीं और उन्हें अच्छी तरह से सुसज्जित अस्पताल में तुरंत उचित चिकित्सा की आवश्यकता थी, पूरी तरह से अप्रासंगिक और गलत होगा। घायलों का खून

बह रहा था और वे दर्द में थे। बचाव पक्ष ने यह सुझाव नहीं दिया है कि अस्पताल ले जाते समय कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल था, जहाँ घायलों को उचित उपचार मिल सकता था। अ.सा.-1 ने अपने बयान के पैराग्राफ '33' में कहा है कि जिस रास्ते से वह फोर्ड अस्पताल गया था, वहाँ कोई नर्सिंग होम और अस्पताल नहीं है। जब घायलों का खून बह रहा था और उनकी जान को खतरा था, तो उनके स्थान के सबसे नजदीक पटना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं माना जा सकता।

47. अनुसंधानकर्ता (अ.सा. -8) के साक्ष्य से हमने पाया है कि घटना के अगले दिन ही आरोपी समीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था और अनुसंधानकर्ता ने उसका इकबालिया बयान दर्ज किया था, जिसमें उसने खुलासा किया था कि उसने अपराध का हथियार पिस्तौल अपने घर के दक्षिणी हिस्से में ईंटों के नीचे छिपा रखा था, जहां से पिस्तौल बरामद की गई थी। समीर कुमार के गिरफ्तारी ज्ञापन को प्रदर्शित किया गया है और इसे प्रदर्श '8' के रूप में चिह्नित किया गया है, लेकिन इकबालिया बयान का हिस्सा, पिस्तौल की बरामदगी का कारण बनने वाला बयान मुकदमे के दौरान प्रदर्शित नहीं किया गया है। हालांकि अनुसंधानकर्ता ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उन्होंने आरोपी द्वारा बताए गए स्थान से पिस्तौल जब्त की थी और इस संबंध में उन्होंने गोपालपुर थाना कांड संख्या 244/2021 दिनांक 20.07.2021 दर्ज किया था, हम पाते हैं कि पिस्तौल की जब्ती सूची और गोपालपुर थाना कांड संख्या 244/2021 की प्राथमिकी वर्तमान मामले में प्रदर्शित नहीं की गई है। अनुसंधानकर्ता ने पिस्तौल और जब्त की गई फायर की गई कारतूस को वैज्ञानिक जांच के लिए आपराधिक विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा था। ये अनुसंधानकर्ता (अ.सा. -8) की ओर से चूक हैं और यह केवल इस न्यायालय के विश्वास

को मजबूत करता है कि अनुसंधानकर्ता के आचरण के खिलाफ विरोध याचिका (प्रदर्श '2') दायर करके सूचक की शिकायत सही थी और अगर विद्वान दंडाधिकारी, जिसके समक्ष प्रदर्श-2 दायर किया गया था, ने जांच की निगरानी की होती और सक्षम प्राधिकारी को अनुसंधानकर्ता को बदलने का निर्देश दिया होता, तो इस मामले की जांच अधिक निष्पक्ष होती। अगर सूचक ने अनुसंधानकर्ता (अ.सा. -8) के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी तो विचारण न्यायालय के पास उसे दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं था। विद्वान विचारण न्यायालय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि अनुसंधानकर्ता किस तरह अभियोजन पक्ष के मामले को खराब करने की कोशिश कर रहा था। अनुसंधानकर्ता की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए और यह दर्ज करते हुए कि उसकी ओर से चूक हुई है, विद्वान विचारण न्यायालय ने माना है कि मामले में जिस तरह से जांच आगे बढ़ी है, उससे आरोपी को गलत तरीके से फंसाया गया है। सूचक द्वारा की गई हरकतें साफ देखी जा सकती हैं। हमारा मानना है कि विद्वान विचारण न्यायालय की यह टिप्पणी गलत है। इस मामले में अनुसंधानकर्ता का आचरण निंदनीय है। प्रति - परीक्षण के दौरान अनुसंधानकर्ता ने कहा है कि केस डायरी में उन्होंने घटनास्थल पर खून की मौजूदगी के बारे में दर्ज नहीं किया है, उन्होंने सूचक के पड़ोसी की जांच नहीं की है जो घटनास्थल के घर के ठीक बगल में रहता है और उन्होंने गांव वालों का बयान भी दर्ज नहीं किया है।

**47.1 गुजरात राज्य बनाम किशनभाई एवं अन्य (2014) 5 एससीसी 108, में** प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जांच के मामले में जिसमें अनुसंधानकर्ता की भूमिका दोषी पाई गई है निम्नलिखित निर्देश जारी किए:-

"22. हर बरी को न्याय के उद्देश्य की पूर्ति में न्याय प्रदान करने वाली

प्रणाली की विफलता के रूप में समझा जाना चाहिए। इसी तरह, हर बरी को आम तौर पर इस निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए कि एक निर्दोष व्यक्ति पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया गया था। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य एक प्रक्रियात्मक तंत्र स्थापित करे जो यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय का उद्देश्य पूरा हो, जो एक साथ उन लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जो निर्दोष हैं। उपर्युक्त उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रत्येक राज्य के गृह विभाग को सभी बरी आदेशों की जांच करने और प्रत्येक अभियोजन मामले की विफलता के कारणों को दर्ज करने का निर्देश देना आवश्यक माना जाता है। पुलिस और अभियोजन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्थायी समिति को उपरोक्त जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। उपरोक्त समिति के हाथों में विचार-विमर्श का उपयोग जांच और/या अभियोजन, या दोनों के दौरान किए गए गलतियों को स्पष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार का गृह विभाग जूनियर जांच/अभियोजन अधिकारियों के लिए अपने मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपरोक्त विचारों से तैयार पाठ्यक्रम-सामग्री को शामिल करेगा। उसी को वरिष्ठ जांच/अभियोजन अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम-सामग्री भी बनाना चाहिए। अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की उपरोक्त जिम्मेदारी ऊपर संदर्भित वरिष्ठ अधिकारियों की उसी समिति में निहित होनी चाहिए। इस मामले में वर्तमान में दिए गए निर्णय (मामले की जांच/अभियोजन में दस से अधिक स्पष्ट चूकों को दर्शाते हुए) और इसी तरह के अन्य निर्णयों को भी

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोड़ा जा सकता है। जांच के उभरते वैज्ञानिक उपकरणों, अदालतों के निर्णयों और मामलों के असफल अभियोजन में विफलताओं की जांच करते समय स्थायी समिति द्वारा प्राप्त अनुभवों के आधार पर, पाठ्यक्रम-सामग्री की समीक्षा उपरोक्त समिति द्वारा सालाना की जाएगी। हम आगे निर्देश देते हैं कि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 महीने के भीतर लागू किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जांच/अभियोजन से संबंधित संवेदनशील मामलों को संभालने वाले व्यक्ति इसे संभालने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित हैं। इसके बाद, यदि उनके द्वारा कोई चूक की जाती है, तो वे अपनी चूक के लिए विभागीय कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी बनाए जाने पर निर्दोष होने का दिखावा नहीं कर सकेंगे।

**47.2** हमारा विचार है कि वर्तमान मामला गृह विभाग, बिहार सरकार को भेजा जाना उचित मामला है, ताकि इस मामले की जांच के मामले में अनुसंधानकर्ता (अ.सा. 8) की भूमिका की जांच की जा सके और **किशनभाई (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सके।

**48.** वर्तमान मामले में, हमने ऊपर जिन अनुसंधानकर्ता (अ.सा. -8) की ओर से चूक देखी है, उसके बावजूद यह न्यायालय अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं कर सकता। यह न्यायालय अ.सा. -1, अ.सा. -2 और अ.सा. -3 जैसे घायल गवाहों की मौखिक गवाही को खारिज नहीं कर सकता। यह पाया गया है कि लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श '1') में, सूचक ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि यह समीर कुमार था जो पिस्तौल से लैस था, उसने आरोपी और घायल व्यक्तियों के बीच कुछ तीखी नोकझोंक के बाद गोली

चलाई थी। यह आरोपी-उत्तरदाता था जिसने अपने हाथ में पिस्तौल से बार-बार गोली चलाई थी जिससे अ.सा. -1, अ.सा. -2 और अ.सा. -3 को आग्नेयास्त्र से चोटें आईं। प्रदर्श '3', '4' और '5' जख्म प्रतिवेदन हैं। प्रति - परीक्षण के पैटर्न से, ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि घायल गवाहों की ओर से वर्तमान मामले में आरोपी-उत्तरदाता को झूठा फंसाने का कोई कारण होगा। बचाव पक्ष ने अ.सा. -1 को सुझाव दिया है कि कमीशन के लेन-देन के सिलसिले में उस पर गोली चलाई गई थी, लेकिन गांव की राजनीति के कारण उसने समीर को झूठा फंसाया था। इस सुझाव को अ.सा. -1 ने नकार दिया है। इसी तरह के सुझाव अ.सा. -2 और अ.सा. -3 को दिए गए थे, जिन्हें उन्होंने भी नकार दिया। हम पाते हैं कि इस मामले में तीन लोगों को आग्नेयास्त्र से चोटें आई थीं, वे एक से अधिक लोगों को आग्नेयास्त्र से चोटें पहुंचाने वाले हमलावरों के रूप में फंसा सकते थे, लेकिन झूठे फंसाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। फायरिंग का आरोप सिर्फ समीर पर लगाया गया है।

**48.1** इस न्यायालय को अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष घटना की तिथि, समय, स्थान और तरीके को किसी भी उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम है। इस न्यायालय को इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं होगा कि अ.सा. -1, अ.सा. -2 और अ.सा. -3 की मौखिक गवाही, चोट रिपोर्ट और अ.सा. -5 और अ.सा. -6 के साक्ष्य से पूरी तरह से पुष्ट हो रही है जो फोर्ड अस्पताल, पटना के डॉक्टर हैं। इन घायल गवाहों द्वारा यह विधिवत साबित किया गया है कि अभियुक्त समीर कुमार ने उन पर बार-बार गोली चलाई थी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है और इसे नहीं लिया जा सकता था।

**49.** हम इस सुस्थापित कानून के प्रति सचेत हैं कि दोषमुक्ति के निर्णय में हल्के-फुल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। राजेश प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य

(2022) 3 एससीसी 471 में प्रतिवेदित किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ '29' में निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

"29. अनेक निर्णयों का उल्लेख करने के पश्चात, इस न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित किया है: (चंद्रप्पा' केस १० एस.सी.सी. पृ. 432, पैरा 42)

"42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण से, दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत उभर कर आते हैं:

(1) अपीलीय न्यायालय को उस साक्ष्य की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर तथा तथ्य और विधि दोनों के प्रश्नों पर किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व साक्ष्य पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे कि, "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का उद्देश्य दोषमुक्ति के

विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। इस तरह की शब्दावली "भाषा के अतिरेक" की प्रकृति की होती है, जो साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने निष्कर्ष पर पहुँचने की न्यायालय की शक्ति को कम करने के बजाय दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए अपीलीय न्यायालय की अनिच्छा पर जोर देती है।

(4) हालांकि, अपीलीय अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा होती है। सबसे पहले, निर्दोष होने की धारणा उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए। दूसरे, अभियुक्त के बरी होने के बाद, उसकी निर्दोषता की धारणा को विचारण न्यायालय द्वारा और भी प्रबलित, पुष्ट और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

**50. एच.डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य (2023) 9 एससीसी 581 में प्रतिवेदित** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश दिया है। दं. प्र. सं. धारा 378 के तहत बरी किया जाना और हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 561 में प्रतिवेदित मामले में रिपोर्ट किया गया है। पैराग्राफ '38' को नीचे आसानी से समझने के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

संदर्भ:-

"38. इसके अलावा, एच.डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक<sup>2</sup> राज्य के मामले में इस न्यायालय ने दं. प्र. सं. की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है:-

"8.1. अभियुक्त को बरी किये जाने से निर्दोषता की धारणा और मजबूत हो जाती है;

8.2. अपीलीय न्यायालय, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करते समय, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने का हकदार है;

8.3. अपीलीय न्यायालय को, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर निर्णय करते समय, साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात, इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जिसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लिया जा सकता था;

8.4. यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकता कि एक अन्य दृष्टिकोण भी संभव था; तथा

8.5. अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकमात्र निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का अपराध संदेह से परे साबित हो चुका था तथा कोई अन्य निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था।"

51. हाल ही में, **हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य और अन्य एआईआर 2023 एससी 4331** में प्रतिवेदित मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के मामले पर विचार कर रहा था और बरी किए जाने के खिलाफ अपील में विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा चलाने और जांच एजेंसी की ओर से कई चूकें देखी गईं। **हरेंद्र राय (उपरोक्त)** के मामले में फैसले के पैराग्राफ '84' से '89' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो देखा गया है, उसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की उचित सराहना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्हें तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

"84. विचारण न्यायालय की सामान्य प्रथा के अनुसार और मामले में लागू सामान्य नियम (आपराधिक) के अनुसार, किसी आपराधिक मामले की जांच और परीक्षण के दौरान दायर और प्रस्तुत सभी कागजात और दस्तावेजों को 'पेपर संख्या' के रूप में चिह्नित किया जाता है और साक्ष्य के स्तर पर, जब किसी भी लेख, हथियार, सामग्री या दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो इसे एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया जाता है, चाहे वह किसी भी तरह से हो, चाहे अक्षरों के उपयोग से

या संख्याओं के उपयोग से (आमतौर पर अभियोजन साक्ष्य के लिए प्र.-क और बचाव साक्ष्य के रूप में प्र.-ख)।

85. साक्ष्य के चरण में, जब कोई दस्तावेज/कागज़ औपचारिक रूप से साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है, तो न्यायालय दो बुनियादी पहलुओं पर विचार करता है। सबसे पहले, न्यायालय के रिकॉर्ड पर दस्तावेज़ का अस्तित्व और दूसरा, इसके निष्पादन या इसकी सामग्री का प्रमाण किसी ऐसे गवाह द्वारा पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया जाना, जिसके पास इसके बारे में अपेक्षित ज्ञान हो, जिसके बाद, संबंधित दस्तावेज़ को प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया जाता है। किसी भी दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करने के चरण में, दस्तावेज़ में कही गई बातों की सच्चाई को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

86. इस न्यायालय ने *अरबदा देवी गुप्ता बनाम बीरेन्द्र कुमार जायसवाल*<sup>3</sup> के मामले में पैराग्राफ 16 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"16. .... कानूनी स्थिति से कोई विवाद नहीं है कि न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज़ को मात्र प्रदर्शित करने और उस पर निशान लगाने से ही उसकी विषय-वस्तु का समुचित प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसका निष्पादन स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, अर्थात् 'उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो मुद्दे में तथ्यों की सत्यता की गारंटी दे सकते हैं...."

87. इस मामले के दृष्टिकोण से, परीक्षण कार्यवाही में साक्ष्य के स्तर पर साक्ष्य के एक टुकड़े को 'प्रदर्श' के रूप में चिह्नित करना केवल परीक्षण में

3 13. (2003) 8 एससीसी 745; (एआईआर 2004 एससी 175)

प्रस्तुत साक्ष्य की पहचान के उद्देश्य से है और न्यायालय और अन्य हितधारकों की सुविधा के लिए है ताकि परीक्षण कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में क्या पेश किया जा रहा है, इसकी स्पष्ट तस्वीर मिल सके।

88. चूंकि हम इस मामले को "हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली के एक अत्यंत पीड़ादायक प्रकरण" के रूप में देख रहे हैं, इसलिए हमने पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पारित निर्णय का न्यायिक संज्ञान ले लिया है, जिसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत विचाराधीन मुकदमे के अभियुक्त, उसके सरकारी अभियोजक, पुलिस प्रशासन और विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के बाद के आचरण के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का प्रावधान है।

89. वर्तमान मामले में, राज्य तंत्र की विफलता और पीड़ित पक्ष के दृष्टिकोण से निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में विचारण न्यायालय की विफलता पर विचार करते हुए, एफआईआर और बयान तहरीर को साक्ष्य के रूप में चिह्नित न करने, औपचारिक गवाहों को पेश न करने, यानी सिपाही क्लर्क और अनुसंधानकर्ता को प्राथमिकी/बयान तहरीर दर्ज करने को साबित करने के लिए पेश न करने और किशोरी राय द्वारा दायर आवेदन को हल्के ढंग से खारिज करने, जिसमें परीक्षण कार्यवाही में गवाह के रूप में नागेंद्र सिंह और संजीव कुमार सिंह (जिन्होंने लिखित कथन/बयान तहरीर पर हस्ताक्षर किए थे) की जांच के साथ-साथ उन्हें गवाह के रूप में परीक्षित करने की मांग की गई थी, जो प्राथमिकी और बयान तहरीर की वास्तविकता को खराब नहीं करते हैं, और हम उन्हें

प्रदर्शित न करने के लिए आरोपी व्यक्तियों को कोई छूट देने से इनकार करते हैं।

52. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोषपूर्ण जांच और अभियोजन के मुद्दे पर विचार किया। यह देखा गया है कि किसी भी सभ्य आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए बुनियादी आवश्यकता यह है कि मुकदमा निष्पक्ष होना चाहिए। यह ऐसे समाज में आवश्यक है जो मानवाधिकारों को मान्यता देता है और स्वतंत्रता, कानून का शासन, लोकतंत्र और खुलेपन जैसे मूल्यों पर आधारित है। मुकदमे का पूरा उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाना और साथ ही निर्दोषों की रक्षा करना है। इस प्रक्रिया में, न्यायालय को हमेशा सत्य की खोज में रहना चाहिए और न्याय के मूल उद्देश्य को पराजित किए बिना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए (संदर्भ राम बिहारी यादव 1998 4 एससीसी 517; पैरा 35)।

53. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि दी गई तिथि को, सूचक द्वारा बताए गए समय और घटनास्थल पर, अभियुक्त समीर कुमार ने अ.सा. -1, अ.सा. -2 और अ.सा. -3 पर गोली चलाई थी, जिससे वे आग्नेयास्त्र से घायल हो गए थे। अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे भा. दं. वि. के धारा 307 और 504/34 के तहत आरोप साबित करने में सफल रहा है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि घायल गवाहों और अभियुक्तों के बीच झगड़ा पैसे की मांग के कारण हुआ था, जो कथित तौर पर अभियुक्तों द्वारा फिरौती के रूप में किया जा रहा था। यह न्यायालय पाता है कि जहां तक रंगदारी के जरिए पांच लाख रुपये की मांग के आरोप का सवाल है, यह सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं हुआ है, हालांकि, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और

प्रति - परीक्षण के पैटर्न से यह स्पष्ट है कि पैसे की मांग को लेकर पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। इस संबंध में अ.सा. -1 ने अपने फर्दबयान में कहा है कि आरोपी पांच लाख रुपए की मांग कर रहा था, जबकि अपने मुख्य परीक्षण में उसने कहा है कि आरोपी पांच लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। इस प्रकार, हम पाते हैं कि अ.सा. -1 ने मुकदमे के दौरान पहली बार रंगदारी के लिए मांग की बात कही है। अनुसंधानकर्ता ने कहा है कि उसने केस डायरी के पैराग्राफ '14' में अ.सा. -1 का पुनः कथन दर्ज किया था, लेकिन अ.सा. -1 ने आरोप लगाया है कि उसका पुनः कथन अनुसंधानकर्ता द्वारा सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था, इसलिए रंगदारी के रूप में मांग के बिंदु पर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हमारा मानना है कि धारा 384 भा. दं. वि. के तहत आरोप विधिवत साबित नहीं हुआ है। घटना का तात्कालिक कारण पैसे की मांग थी, लेकिन पैसे की मांग किस कारण से की जा रही थी, यह अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया है, इसलिए हम आरोपी को धारा 384 भा. दं. वि. के तहत आरोप से बरी करते हैं।

54. परिणामस्वरूप, यह न्यायालय इस विचार पर है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी समीर कुमार को भा. दं. वि. की धारा 307 और 504 के तहत आरोप से बरी करने में घोर गलती की है, जो आपराधिक अपील (खं. पी. ) संख्या 35/2024 में उत्तरदाता संख्या 2 है और सरकारी अपील (खं. पी. ) संख्या 2/2024 में एकमात्र उत्तरदाता है। आरोपी का अपराध किसी भी संदेह से परे साबित हो चुका है। कोई अन्य दृष्टिकोण संभवतः नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले को खारिज किया जाता है। आरोपी, अर्थात्, समीर कुमार को भा. दं. वि. की धारा 307 और 504 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। हालाँकि, उसे भा. दं. वि. की धारा 384 के तहत आरोप से बरी किया जाता है।

55. हम निर्देश देते हैं कि आरोपी समीर कुमार को गोपालपुर थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा हिरासत में लिया जाएगा और दं. प्र. सं. की धारा 235 के मद्देनजर सजा के सवाल पर सुनवाई के लिए इस अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

56. मामला 17 सितम्बर, 2024 को अपराह्न 03:00 बजे सजा पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जब अभियुक्त को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

57. इस निर्णय की एक प्रति विशेष दूत के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना को उचित कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

58. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किशनभाई (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में उचित कार्रवाई करने के लिए निर्णय की एक प्रति गृह विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाएगी।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति)

सुषमा2/ऋषि-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।